भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं० *340

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

देश में पेयजल का संकट

***340. श्री राजीव शुक्लः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तर पूर्वी राज्यों में पेयजल की गंभीर समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जल की कमी वाले जिलों में पेयजल की आपूर्ति में सुधार करने के लिए क्या–क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनाँक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं॰ *340 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) दिनांक 28.03.2017 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 8 पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में 122094 ग्रामीण बसावटों में से 66782 ग्रामीण बसावटें पूर्ण रूप से कवर की हुई हैं (अर्थात् उनमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है), 42613 ग्रामीण बसावटें आंशिक रूप से कवर की हुई हैं (अर्थात् उनमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम स्वच्छ पेयजल मिल रहा है) और 12699 ग्रामीण बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं (अर्थात् उनमें कम से कम एक संदूषण है)। दिनांक 28.03.2017 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण जलापूर्ति के कवरेज का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	बसावटों की कुल संख्या	पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या
1	अरूणाचल प्रदेश	7577	2782	4407	388
2	असम	88099	53758	24593	9748
3	मणिपुर	2868	2263	605	0
4	मेघालय	10475	1677	8787	11
5	मिजोरम	738	447	291	0
6	नागालैंड	1530	731	756	43
7	सिक्किम	2084	731	1353	0
8	त्रिपुरा	8723	4393	1821	2509
कुल		**122094**	**66782**	**42613**	**12699**

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 10 प्रतिशत चिन्हित है जिसे देश के शेष भागों की तुलना में 90:10 के अनुपात में (केंद्र:राज्य) दिया जाता है जहां भागीदारी हिस्सा 50:50 (केंद्र:राज्य) का है। अत: एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत निधियों के आबंटन के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

तथापि, यह माना गया कि है दुर्गम तथा पहाड़ी तराइयां होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में पेयजलापूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन में काफी चुनौतियां आती हैं जैसे बारहमासी स्रोतों की अनुपलब्धता, छोटी, दुर्गम तथा दूर-दूर स्थित बसावटें जिससे स्कीमों के कार्यान्वयन में विलंब होता है और अधिक लागत लगती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान 28.03.2017 की स्थिति के अनुसार सभी पूर्वोत्तर राज्यों को 664.41 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य वार विवरण निम्नलिखित है:-

(सभी राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन	27/03/2017 तक रिलीज
1	अरूणाचल प्रदेश	101.39	110.84
2	असम	402.15	348.06
3	मणिपुर	41.83	40.61
4	मेघालय	42.02	40.42
5	मिजोरम	25.33	24.49
6	नागालैंड	37.93	36.84
7	सिक्किम	14.77	19.42
8	त्रिपुरा	39.48	43.73
कुल		704.9	664.41

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे 14 वें वित्त आयोग के तहत बढ़ाए गए अनुदानों का उपयोग करके अपने राज्य बजट से अधिक निधियां आबंटित करें। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे बाह्य वित्तियन एजेंसियों और घरेलू ऋणदाता एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/ हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) से सहायता लेकर परियोजनाएं चलाएं।

(ग) देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने निम्नलिखत कदम उठाए हैं :-

i. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी राज्य, कुल राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधियों का 67 प्रतिशत तक का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कर सकते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 28.03.2017 तक उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को क्रमश: 621.95 करोड़ रुपए तथा 404.45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

ii. इसके अतिरिक्त, इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी राज्य किसी क्षेत्र में पेयजल की कमी को दूर करने के कार्यों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उन्हें जारी की गईं कुल निधियों का 25 प्रतिशत तक फ्लेक्सी निधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

iii. राज्यों को सलाह दी गई है कि 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत बढ़ाए गए अनुदानों का उपयोग करके राज्य से अधिक निधियां आबंटित करें। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे बाह्य ऋणदाता एजेंसियों और आंतरिक ऋणदाता एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/ हाउसिंग एंड अर्बन डेवेलपमेंट कारपोरेशन (हुडको) से सहायता लेकर परियोजनाएं चलाएं।